अति–आवश्यक
सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 345/2013/17/मेडि– भोपाल दिनांक 01/03/2013

विषयः– चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के मासिक कार्य लक्ष्य निर्धारण के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के जिला अस्पताल सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नागरिकों को सतत् सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न अमला पदस्थ किया गया है। साथ ही आवश्यक उपकरणों व प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराई है। इन सुविधाओं का सतत् रूप में व्यापक उपयोग हो व जहां–जहां आवश्यकता हो कार्यभार को देखते हुए बेहतर उपकरण व सुविधायें उपलब्ध कराई जाये। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि मासिक आधार पर हमारे अस्पतालो में हो रहे कार्य का सतत् आकंलन विभिन्न स्तरों पर होता रहे। इस दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर चिकित्सको के संलग्न तालिका के अनुसार कार्य लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। कृपया आप इस क्रम में अपने स्तर से तत्काल निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

जनरल ओ.पी.डी. – चिकित्सालयीन समय में चिकित्सक की उपलब्धता अनिवार्य है।

संस्था में पदस्थ विशेषज्ञ एवं उनके मार्गदर्शन में कार्यरत पोस्ट ग्रेज्यूएट चिकित्सक आपसी तालमेल से इस प्रकार कार्य करेगें कि कनिष्ठ चिकित्सकों को कार्य का उचित अवसर मिले ताकि उनकी कार्य क्षमता, निपुणता एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हो।

भर्ती मरीज का उपचार एवं देखभाल – चिकित्सक की सलाह अनुसार एवं आवश्यकता अनुसार की जाने वाली शल्यक्रिया कम से कम अवधि में बिना अन्यथा विलंब के पूर्ण की जाये ताकि मरीज को अनावश्यक रूप से चिकित्सालय में न रहना पड़े तथा चिकित्सालय की भर्ती क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सकें।

1. चिकित्सालय में पदस्थ वरिष्ठतम चिकित्सक को आर.एम.ओ. बनायें, जिनका प्रतिदिन का मुख्य कार्य लक्ष्य निम्नानुसार होगाः–

   क. चिकित्सालय खुलने के आधे घण्टे पूर्व चिकित्सालय में आकर सम्पूर्ण चिकित्सालयीन व्यवस्था/सेवाओं को समय पर मरीजों के लिये क्रियाशील बनाना एवं अस्पताल की सामान्य व्यवस्था आदि को सुनिश्चित करते हुवे सिविल सर्जन/अस्पताल अधीक्षक के निर्देशों का पालन करना।

2. **अस्पताल अधीक्षक/सिविल सर्जन के कार्य लक्ष्य** – प्रमुख रूप से निम्न रहेंगे :–

   क. सिविल सर्जन चिकित्सालय एवं कार्यालय में कम से कम प्रायः 9 से 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।

ख. पूरे चिकित्सालय का राउण्ड सप्ताह में कम से कम 2 बार करेंगे एवं सभी वार्ड, दवा वितरण, पैथालॉजी, ब्लड बैंक, स्टोर, किचन आदि अनिवार्य रूप से देखगें एवं वार्ड में कुछ रोगियों का रेण्डम बेड टिकिट चेक करेंगे।

ग. चिकित्सको द्वारा ओपीडी में देखे गये रोगियों एवं किये गये ऑपरेशन इत्यादि की प्रति सप्ताह समीक्षा करेंगे।

घ. जिला चिकित्सालय के अतिरिक्त सिविल सर्जन उनके अधीनस्थ अन्य संस्थाओं का माह में 3 बार निरीक्षण करेंगे। शहर के अंदर की संस्थाओं का निरीक्षण माह में दो बार एवं शहर के बाहर की संस्थाओं का निरीक्षण एक बार करेंगे।

3. **उपकरणों/प्रयोगशाला/ऑपरेशन थियेटर आदि का सतत् रखरखाव** – उपकरणों को सतत् बेहतर अवस्था में रखने से नागरिकों को दी जाने वाली सुविधा तो बेहतर होगी ही चिकित्सको को भी इससे सुगमता होगी। अतः वे समस्त उपकरण जो ऑपरेशन थियेटर, विभिन्न परीक्षणों, पैथालॉजी आदि में कार्य आते हैं उन उपकरणों की वार्षिक रखरखाव अनुबंध तत्काल संपादित कर लिया जावे। जहां पूर्व से यह संपादित है वहां अनुबंध सतत् रूप में बना रहे, इसे ध्यान रखा जावे। सभी उपकरण एवं मशीनें निरंतर कार्यशील रहें। इनमें खराबी आने पर न्यूनतम समय में इन्हें क्रियाशील बनाया जायें।

4. **उपकरणों पर अमले की व्यवस्था** – कृपया समस्त मशीनों के संचालन हेतु आवश्यक अमला पदस्थ है इस बाबत् भी ध्यान रखा जावे। इस अमले को समय–समय पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण भी दिलाये जाने हेतु समय–समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जावे। इन उपकरणों के सतत् उन्नयन व जहां बेहतर तकनीक के उपकरण आ गये हों उनको स्थापित करने बाबत् भी विचार निरंतरता पर किया जाना चाहिए।

5. **ऑपरेशन बाबत् लक्ष्य** – विभिन्न अस्पतालो में जहां ऑपरेशन थियेटर सुविधा उपलब्ध है वहां प्रयास किया जाना चाहिए कि उपलब्ध विशेषज्ञों द्वारा ऑपरेशन दिवसों में लक्ष्य अनुसार माइनर/मेजर ऑपरेशन किये जावे। लक्ष्यों में न्यूनतम लक्ष्य चिन्हित किये हैं। जिन अस्पतालों में कार्यभार अधिक रहता है वहां चिकित्सक ऑपरेशन थियेटर को विभिन्न कार्यदिवस पर अलग–अलग विभागों हेतु निर्धारित कर सकते है।

6. **उपकरणों के उपयोग से जुड़े लक्ष्य** – संलग्न तालिका में कुछ लक्ष्य इस प्रकार से है जिनका संबंध विभिन्न मशीनों के उपयोग से जुड़ा है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञ जैसे रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ आदि की भी भूमिका है। ऐसे में जहां मशीने अर्पाप्त उपयोग में आ रही है वहां उन मशीनो को पूर्णतः क्रियाशील करने की दिशा में संबंधित चिकित्सक आपस में समन्वय से सुनिश्चित करा सकते हैं।

7. **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों लक्ष्यों बाबत्** – राज्य में आज प्रत्येक विकासखण्ड तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सामान्य स्वरूप के चिकित्सकीय कार्य विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ अमले से ही निराकृति कर दिये जाये व इन मरीजों को जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज तक न आना पड़े। यह सुनिश्चित कराने के लिये आवश्यक है कि हमारे चिकित्सक व पैरामेडिकल इन केन्द्रो पर उल्लेखित न्यूनतम ओ.पी.डी., पैथालॉजी जांच एवं अन्य तकनीकी जांच आदि को सम्पन्न करावे। इससे जहां कम कीमत पर नागरिको को विकासखण्ड स्तर पर ही चिकित्सा सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी उसके साथ ही हमारे चिकित्सको की दक्षता भी बढ़ेगी जिससे समय व धन दोनों की दीर्घकाल में बचत होगी।

प्रयास यह हो कि केवल वे ही जटिलताये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं देखी जा सकती है उन्हीं हेतु नागरिकों को जिला अस्पताल तक आना पड़े।

8. **निगरानी की व्यवस्था** – ओ.पी.डी., इंजेक्शन कक्ष, ड्रेसिंग कक्ष, प्लास्टर कक्ष, माईनर आपरेशन कक्ष, पैथालॉजी, एक्स–रे, सोनोग्राफी, ई.सी.जी. आदि उपकरणों के उपयोग का शाखा में इस बाबत् संधारित रजिस्टर में लेखा रखा जावेगा। इसी प्रकार मेजर/माइनर ऑपरेशन का रिकार्ड नियमित रूप से रखा जावे। प्रत्येक चिकित्सक स्वयं साप्ताहिक रूप में अपने कार्य की समीक्षा करे और यदि कहीं किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक व तकनीकी अड़चन सामने आती है तो उसे वरिष्ट के ध्यान में लाया जावे ताकि समस्त सुविधायें पूरी तरह क्रियाशील हो सके।

अस्पताल अधीक्षक दैनिक राउण्ड में विभिन्न मशीनों, उपकरणों, ऑपरेशन थियेटर आदि के उपयोग को देखेगे व समय–समय पर मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करेंगे। मासिक व साप्ताहिक समीक्षा में जिला स्तर/अस्पताल स्तर से आवश्यक सहयोग व निगरानी प्रदान की जावे। मासिक रूप में यह जानकारी आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें/संचालक/संभागीय संयुक्त संचालक को भेजी जावे जिसमें जिलें में हुए कार्य का चिकित्सकवार नियत तालिका में उपलब्धि दर्शायी जावे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डी.आई.ओ., डी.एच.ओ. आदि की भूमिका राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की निगरानी आदि में भी महत्वपूर्ण रहेगी। वे अपने दौरो के समय अस्पताल के लक्ष्य आदि की उपलब्धि पर भी समीक्षा करे।

9. **निशुल्क दवा वितरण, निशुल्क चिकित्सकीय जांच एवं भोजन (ड्रग्स डायग्नोस्टिक्स एण्ड डाइट)** – शासकीय नियमों के अनुसार सभी प्रकार के औषधि, चिकित्सकीय जांचें, आवश्यकतानुसार मरीजों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

वर्तमान में शासकीय प्रावधान के अनुसार सामान्य मरीजों को 40 रूपये प्रतिदिन (राज्य मद) एवं प्रसव हेतु भर्ती महिलाओं के लिये 80 रूपये (40 रूपये राज्य मद + 40 रूपये एन.आर.एच.एम.) में दिये गये निर्देशों मेनू के अनुसार भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करें। **(उत्तरदायित्व – सिविल सर्जन/आर.एम.ओ. जिला अस्पताल के लिये एवं बी.एम.ओ./प्रभारी/चिकित्सालय प्रभारी अन्य चिकित्सालयों के लिये)**

10. **सफाई व्यवस्था –** चिकित्सालय की आवश्यकता के अनुसार मानव संसाधन लगाकर उच्च स्तरीय सफाई व्यवस्था निरंतर बनाई रखी जाए। **(उत्तरदायित्व – सिविल सर्जन/आर.एम.ओ. जिला अस्पताल के लिये एवं बी.एम.ओ./प्रभारी/चिकित्सालय प्रभारी अन्य चिकित्सालयों के लिये)**

11. **डेथ आडिट –** जिला चिकित्सालय/सिविल अस्पताल में होने वाली सभी मृत्यु के प्रकरणों में प्रति सप्ताह सिविल सर्जन, आर.एम.ओ. एवं मेडिकल/सर्जिकल विशेषज्ञ/चिकित्सक की टीम के द्वारा विवेचना कर यह देखना आवश्यक होगा कि मरीज के उपचार में कहीं कोई कमी तो नही रह गई। यदि कोई कमी रह गई हो तो भविष्य के लिये उचित सावधानी बरतना।

12. **चिकित्सालय में दी जा रही सेवाओं के एवज में किसी भी प्रकार की नाजायज मांग (पैसा, मिठाई अथवा सामान आदि) सर्वथा वर्जित है –** जिला चिकित्सालयों में सिविल सर्जन/आर.एम.ओ. तथा अन्य चिकित्सालयों में प्रभारी अथवा बी.एम.ओ. इसके लिये

उत्तरदायी होगें। ऐसे प्रकरणों के दोषी अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दण्ड के पात्र होगे।

13. सिविल सर्जन प्रति सप्ताह अपने चिकित्सकों की एक बैठक बुलाकर शासन द्वारा भेजे गये सभी पत्रों अथवा चलाई गई नई योजनाओं की जानकारी चिकित्सकों को देगें।

हमारा समग्र प्रयास यह है कि शासन द्वारा उपलब्ध समस्त संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो। इस दृष्टि से रोगी कल्याण समिति की मासिक रूप से बैठक भी आयोजित हो और उस बैठक में इस जानकारी को भी रखा जावें। इस समिति के सहयोग से सुविधाओं के उन्नयन एवं गुणवत्तापूर्ण होने के संबंध में भी प्रयत्न किये जावें। शासन को पूर्ण विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयासो से हमारे अस्पताल एवं उनमें उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधायें बेहतर एवं जन उपयोगी बनेगी।

संलग्न : 1. परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब''

2. प्रारूप अस्पताल – 1 एवं 2

(प्रवीर कृष्ण)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

पृष्ठांकन क्र. /एफ / /2013/17/मेडि– भोपाल दिनांक / /2013

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य, म.प्र.। कृपया परिपत्र की प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सिविल अस्पताल/जिला अस्पताल समस्त स्तर तक तत्काल पहुंचावे।
5. संचालक, चिकित्सा सेवायें/अस्पताल प्रशासन। आप मासिक रूप में प्रदेश की जानकारी को संकलित करावें एवं समीक्षा करें।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल मुख्य अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

परिशिष्ट 'अ'

चिकित्सालयों के चिकित्सकों/पैरा मेडिकल हेतु प्रतिदिन/मासिक कार्य लक्ष्य

क्र.	विवरण	प्रतिदिन न्यूनतम कार्य लक्ष्य	मासिक न्यूनतम कार्य लक्ष्य
1.	ओ.पी.डी. (प्रति ओ.पी.डी. दिवस)	25 नये केस 30 पुराने केस	625 नये केस 750 पुराने केस
2.	अ) ऑपरेशन प्रति चिकित्सक (सिजेरियन सेक्शन आपरेशन को छोडकर) सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, ई.एन.टी. आदि सप्ताह में न्यूनतम 1 आपरेशन दिवस रखेगें। नेत्र आपरेशन न्यूनतम 2 आपरेशन दिवस रखेगें। (प्रति ऑपरेशन दिवस) ब) सिजेरियन आपरेशन – (चिकित्सालय में होने वाले प्रसव का न्यूनतम 5 प्रतिशत)	2 मेजर 2 माईनर	16 मेजर 16 माईजर
3.	सोनोग्राफी प्रति मशीन प्रति रेडियोलॉजिस्ट	15–20	375–500
4.	एक्स–रे प्रति मशीन प्रति रेडियोग्राफर	30–25	750–875
5.	ई.सी.जी. प्रति मशीन प्रति टेक्नीशियन	15–20	375–500
6.	पैथालॉजी जांच	10–15	250–300

परिशिष्ट 'ब'

चिकित्सालयों हेतु प्रतिदिन/मासिक कार्य लक्ष्य

क्र.	विवरण		प्रतिदिन न्यूनतम कार्य लक्ष्य	मासिक न्यूनतम कार्य लक्ष्य
1.	ओ.पी.डी. (प्रति ओ.पी.डी. दिवस)	प्रा.स्वा.केन्द्र सामु.स्वा.केन्द्र सिविल अस्पताल शहरी डिस्पेंसरी /पॉली क्लीनिक जिला अस्पताल	10 से 50 50 से 150 50 से 150 50 से 150 200 से 1000	250 से 1250 1250 से 3750 1250 से 3750 1250 से 3750 5000 से 25000
2.	इनडोर (मरीजो की भर्ती) समस्त चिकित्सकों को शामिल कर – फिजिशियन, सर्जन एवं अन्य चिकित्सक/विशेषज्ञ अपने–अपने विषय के अनुरूप अनुपात में		ओ.पी.डी. का 10 से 15 प्रतिशत	
3.	पैथालॉजी जांच		ओ.पी.डी. का 15 से 20 प्रतिशत	
4.	ऑपरेशन प्रति चिकित्सक (प्रति ऑपरेशन दिवस)		2 मेजर 2 माईनर	16 मेजर 16 माईजर
5.	सोनोग्राफी प्रति मशीन प्रति रेडियोलॉजिस्ट		20 से 30	500 से 750
6.	सी.टी. स्केन प्रति मशीन प्रति रेडियोलॉजिस्ट	(जहां उपलब्ध है)	2 से 5	50 से 125
7.	एम.आर.आई. प्रति मशीन प्रति रेडियोलॉजिस्ट	(जहां उपलब्ध है)	1 से 3	25 से 75
8.	डेंटल एक्स–रे प्रति मशीन प्रति रेडियोग्राफर	(जहां उपलब्ध है)	15 से 25	375 से 625
9.	एक्स–रे प्रति मशीन प्रति रेडियोग्राफर	(स्वास्थ्य संस्था के अनुसार)	5 से 50	125 से 1250
10.	ई.सी.जी. प्रति मशीन प्रति टेक्नीशियन		10 से 20	250 से 500
11.	रिफ्रेक्शन (चश्मे की जांच) प्रति नेत्र सहायक		5 से 30	125 से 750
12.	हिमोडायलेसिस	(जहां उपलब्ध है)	1.5 प्रति यूनिट प्रतिदिन	37.5 यूनिट

प्रारूप अस्पताल – 1

चिकित्सको की मॉनीटरींग

चिकित्सालय का नाम – **माह –**

क्र.	चिकित्सक का नाम	पद / विशेषज्ञता	माह में लिये गये अवकाश की संख्या	माह में ओ.पी.डी. में देखे गये मरीजो की संख्या	माह में भर्ती मरीजो की संख्या	अन्य चिकित्सालयो में रेफर किये गये मरीजो की संख्या (निर्धारित रेफरल प्रारूप में एवं रेफर्ड चिकित्सालय को दूरभाष सूचना के साथ)	इमरजेन्सी काल अटेन्ड करने की संख्या	इमरजेन्सी ड्यूटि करने की संख्या	किये गये एम.एल.सी. की संख्या	किये गये पोस्ट मार्टम की संख्या	मेडिकोलिगल प्रकरण न्यायालय में उपस्थित दिवस की संख्या	सर्जन/गायनिक सर्जन/आथ्रेलमिक/आर्थो./ ई.एन.टी./दंत चिकित्सक आदि है, तो किये गये आपरेशन/केस की संख्या			पैथोलॉजिस्ट/रेडियोलॉजिस्ट है, तो की गई जॉच की संख्या		प्रभार विभाग में स्थापित उपकरणों का संचालन स्वयं के द्वारा/निर्देशन में किया जाता है	विभाग में बंद उपकरणो की जानकारी– नाम एवं संख्या बताये	विभाग में स्थापित उपकरण के लिये आवश्यक सामग्री / औजार की कमी हे तो पूर्ति के लिये की गई कार्यवाही का विवरण
												मेजर	माईनर	सिजर	लेब टेस्ट	सोनोग्राफी/एक्स–रे/डिजिटल एक्स–रे/सी.टी. स्केन/एम.आर.आई./डेंटल एक्स–रे/एक्स–रे			

सिविल सर्जन की टीप – 1. मैं अपने चिकित्सकों द्वारा किये गये कार्य एवं चिकित्सालयीन स्टाफ के व्यवहार से संतुष्ठ/असंतुष्ट हूँ।

2. मैंने अपने चिकित्सकों एवं चिकित्सालयीन स्टाफ के परफारमेंस को और बेहतर करने के लिये निम्न कार्यवाही की है:–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन
जिला –

																प्रारूप अस्पताल – 2			
चिकित्सालयों की मॉनीटरिंग																			
Monthly Report ..... Year (Ist. Jan. to 31st. Dec.)																			
S. No.	**Divison**	**District**		**Out Door**	**Indoor**	**Minor Surgery**	**Major surgery**	**Normal Delivery**	**Caesarion Delivery**	**Pathology**	**X-ray/ Digital X-ray/Dental X-ray**	**Ultra sound**	**CT Scan/ MRI**	**ECG**	**Eco/ TMT**	**Blood Units Transfused**	**Hemodialysis**	**MLC**	**Post mortem**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
	सिविल सर्जन की टीप – 1. मैं अपने चिकित्सालय के परफारमेंस से संतुष्ठ/असंतुष्ट हूँ																		
	2. मैंने अपने चिकित्सालय के परफारमेंस को बेहतर करने के लिये निम्न कार्यवाही की है:–																		
											मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन								
														जिला –					